<u>न्यायालय :— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u>
(आप.प्रक.क्रमांक :— 573 / 2016)
(संस्थित दिनांक :— 20 / 09 / 2016)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :— मौ जिला—भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

// विरूद्ध //

- 01. पच्चू उर्फ पंचम जाटव पुत्र गंगाराम जाटव उम्र 38 वर्ष।
- 02. विशाल जाटव पुत्र गंगाराम जाटव उम्र 35 वर्ष। निवासीगण:— ग्राम जितवार सिंह का पुरा, थाना—मौ, तहसील—गोहद, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)।

.....अभुयक्तगण

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 07/04/2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण पच्चू उर्फ पंचम एवं विशाल पर भा.द.सं. की धारा 294, 323, 323/34, 324, 324/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 10/08/2016 की रात्रि लगभग 10:00 बजे ग्राम जितवार सिंह का पुरा में, जो एक लोकस्थान है, फरियादी लक्ष्मीबाई को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी लक्ष्मीबाई एवं कप्तान की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त पच्चू उर्फ पंचम ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी लक्ष्मीबाई की एवं अभियुक्तगण ने लात—घूसों से लक्ष्मीबाई एवं कप्तान की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी लक्ष्मीबाई को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 10/08/2016 की रात्रि लगभग 10:00 बजे ग्राम जितवार सिंह का पुरा में, आरोपीगण द्वारा फरियादी लक्ष्मीबाई से गाली—गलौच करने, उसकी एवं उसके पित कप्तान की धारदार आयुध कुल्हाड़ी एवं लात—धूसों से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी लक्ष्मीबाई द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 167/16 अन्तर्गत धारा 294,

323 एवं 506 भाग।। सहपिठत धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत लक्ष्मीबाई के मेडीकल परीक्षण में धारदार आयुध से चोट होने का उल्लेख होने के कारण आरोपीगण के विरूद्ध धारा 324 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आरोपी पच्चू उर्फ पंचम से एक कुल्हाड़ी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी लक्ष्मीबाई, आहत कप्तान सिंह, साक्षीगण भूरेलाल एवं रसाल सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण पच्चू उर्फ पंचम एवं विशाल के विरूद्ध धारा 294, 323, 323/34, 324, 324/34, 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-
- 01. क्या आरोपी पच्चू उर्फ पंचम ने दिनांक :— 10/08/2016 की रात्रि लगभग 10:00 बजे ग्राम जितवार सिंह का पुरा में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी लक्ष्मीबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त पच्चू उर्फ पंचम ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी लक्ष्मीबाई की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी लक्ष्मी अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण पंचम एवं विशाल को जानती है, वह उसके जेठ के लड़के है। साक्षी आगे कहती है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 16/02/2017 से करीबन छ:—सात माह पूर्व की होकर रात्रि लगभग 10:00 बजे की ग्राम जितवार सिंह के पुरा की है। उस समय उसका एवं उसके पति कप्तान का आरोपीगण से पारिवारिक झगड़े को लेकर मुँहवाद हो गया था, उसी पर से आरोपीगण ने उसकी लात—घूसों से मारपीट कर दी थी। साक्षी आगे कहती है कि आरोपीगण ने उससे गाली—गलौच की थी एवं जान से मारने की धमकी दी थी। इस वावत् उसके द्वारा पुलिस थाना मो में रिपोर्ट की थी, जो प्र.पी.02 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने इस संबंध में घ ाटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.03 बनाया था, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उसका ईलाज कराया था। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी

फरियादी लक्ष्मी अ.सा.02 ने आरोपी पच्चू उर्फ पंचम द्वारा दिनांक :— 10/08/2016 की रात्रि लगभग 10:00 बजे ग्राम जितवार सिंह का पुरा में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर उसकी धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहितयाँ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी लक्ष्मी अ.सा.02 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

07. आहत/साक्षी कप्तान सिंह अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण पंचम एवं विशाल को जानता है, वह उसके भतीजे है। साक्षी आगे कहता है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 16/02/2017 से करीबन छ:—सात माह पूर्व की होकर रात्रि लगभग 10:00 बजे की ग्राम जितवार सिंह के पुरा की है। उस समय उसका एवं उसकी पत्नी लक्ष्मी का आरोपीगण से पारिवारिक झगड़े को लेकर मुँहवाद हो गया था, उसी पर से आरोपीगण ने उसकी लात—घूसों से मारपीट कर दी थी। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण ने उससे गाली—गलौच की थी एवं जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आहत कप्तान सिंह अ.सा.02 ने आरोपी पच्चू उर्फ पंचम द्वारा दिनांक :— 10/08/2016 की रात्रि लगभग 10:00 बजे ग्राम जितवार सिंह का पुरा में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर उसकी पत्नी लक्ष्मी की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

08. आरोपीगण एवं फरियादी / आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी लक्ष्मीबाई अ.सा.02 एवं कप्तान सिंह अ.सा.03 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

09. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी पच्चू उर्फ पंचम ने दिनांक :— 10/08/2016 की रात्रि लगभग 10:00 बजे ग्राम जितवार सिंह का पुरा में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी लक्ष्मीबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त पच्चू उर्फ पंचम ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी लक्ष्मीबाई की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।

10. अभियोजन आरोपीगण पच्चू उर्फ पंचम एवं विशाल के विरूद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

- 11. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 12. प्रकरण में आरोपी पच्चू उर्फ पंचम से जब्तशुदा धारदार कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद